संख्या–1732 (बी)/क.नि.–6/2017–20(बी)/15/17

प्रेषक,

सी0एल0 गुप्ता,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उ0प्र0।
4. कृषि निदेशक, कृषि भवन, उ0प्र0।
5. संयोजक, राजय स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक आफ बड़ौदा, लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन, अनु0–6

लखनऊः दिनांकः 16 नवम्बर, 2017

विषय– प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की एनपीए समाधान योजना में व्यवसायिक बैंकों/ग्रामीण बैंकों द्वारा कार्यवाही हेतु समय सारणी के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या– 1523 बी / क0 नि0 – 6 –2017–1(बी)/2017 दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों हेतु एनपीए समाधान योजना प्रसारित की गयी थी तथा शासन के पत्र संख्या– 1554बी/क0नि0–6–2017–20(बी)–15/2017 दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 द्वारा संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से उक्त एनपीए समाधान योजना को समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रेषित किया गया था। बैंकों द्वारा नियमानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त योजना को अंगीकृत किये जाने के उपरान्त समस्त कार्यवाही नियत अवधि में पूर्ण की जानी होगी। जिससे समय से कृषकों को योजना का लाभ मिल सके।

उक्त के दृष्टिगत बैंकों द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के दिनांक से निम्न समय सारणी के अनुसार बैंकों तथा डीएलसी द्वारा कार्यवाही सम्पादित की जायेगी :–

क	कार्यवाही	अवधि
1	बैंक द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–4) पर सहमति पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना।	दो दिन
2	एनआईसी द्वारा संबंधित बैंक हेतु पोर्टल पर डाटा इंट्री का प्राविधान एक्टिवेट किया जना।	एक दिन
3.	बैंक द्वारा निर्धारित परिशिष्ट–1, 2 एवं 3 में एनपीए संबंधी ऑकड़े पोर्टल पर फीड किया जाना।	सात दिन
4.	एनआईसी द्वारा यूआईडीएआई के माध्यम से डेमोग्राफिक वैलिडेशन किया जाना।	तीन दिन
5.	बैंक द्वारा पोर्टल पर ऑकड़े फीड किये जाने के दिन से जनपद स्तर पर सत्यापन की कार्यवाही	दस दिन
6.	जिला स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति/डिमाण्ड जनरेट किया जाना, एनआईसी द्वारा फिल्टर्स चलाया जाना, धनराशि का अन्तरण आदि।	तीन दिन

2. एनआईसी द्वारा योजना में सहमति प्रदान करने वाले बैंकों के नाम पोर्टल पर प्रदर्शित करने का प्राविधान किया जायेगा।

3. साथ ही जिलाधिकारियों के अनुरोध है कि विषयक संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति से समन्वय स्थापित कर बैंकों द्वारा योजना के अंगीकरण विषयक स्थिति भी ज्ञात कर लें तथा एनआईसी के द्वारा भी इस विषयक पोर्टल पर व्यवस्था की जाय। बैंक द्वारा अपना सहमति पत्र पोर्टल पर अपलोड करते समय निम्न प्रारूप पर नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एनपीए खातों की समरी शीट भी कृषि विभाग/एनआईसी को उपलब्ध कराया जाय :–

क0 सं0	बैंक का नाम	शाखा का नाम	एनपीए खातों की संख्या

4. वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी0एल0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 1732 (बी)/क.नि.–6–2017/तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त/ सहकारिता/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, वित्त/राजस्व/कृषि/सूचना, उ0प्र0 शासन।
4. विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. विशेष सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन (श्री नील रत्न)।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सी0एल0 गुप्ता)
संयुक्त सचिव।